बिहार विधान परिषद्

189वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि 04 श्रावण, 1940 (श.) / 26 जुलाई, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 17

1.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	05
2.	वित्त विभाग	-	-	04
3.	योजना एवं विकास विभाग	-	-	02
4.	समाज कल्याण विभाग	-	-	01
5.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	02
6.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	03
			कुल योग –	17

वारदातों पर अंकुश

43. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पनप रहे अपराध, भ्रष्टाचार एवं साम्प्रदायिकता से किसी तरह का समझौता नहीं करने के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है लेकिन गया में हुई मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, गोपालगंज स्थित मूल्यांकन केन्द्र, एस.एस. बालिका प्लस टू स्कूल में माध्यमिक परीक्षा 2018 की बयालिस हजार चार सौ से अधिक कॉपियों के गायब हो जाने तथा नालन्दा जिले के किसान की बर्बर हत्या उनके खोखले दावे की पोल खोल दी है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में दिन-रात पुलिस की गश्ती रहने के बावजूद इस तरह के लगातार बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार एवं साम्प्रदायिकता रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है और अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों माफियायों का मनोबल काफी बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने एवं पुलिस तंत्रों के दायित्व के निर्वहन की कार्रवाई के लिए कौन-सा कदम उठाने पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो क्यों?

समस्या का समाधान

44. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके सड़क के किनारे यात्री पड़ाव का निर्माण कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन की ओर से इन निर्धारित पड़ाव पर ही बस एवं टैम्पु को सवारी उतारने एवं बैठाने हेतु बार-बार निर्देश जारी किए जाते रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आज भी बस एवं टैम्पु चालक जिला प्रशासन के निर्देश की धज्जियां उड़ाते रहते हैं तथा मनमाने तरीके से बीच सड़क पर वाहन खड़ा करके सवारी उतारते एवं बैठते हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कौन-सा ठोस कदम उठाना चाहती है और कबतक?

निष्पादन कबतक

45. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के छात्र/छात्राओं ने केन्द्र सरकार के शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों में आवेदन दिया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बैंक को कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों का निष्पादन किया गया तथा शेष बचे आवेदन का निष्पादन बैंक कबतक करना चाहती है?

सरकारी राशि का गबन

46. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी पंचायत में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में फर्जी ढंग से 85 लाख रुपये की निकासी बिना कार्य के लिए की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि 9 चेक के माध्यम से नवम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 के बीच 85 लाख रुपये की निकासी अवैध ढंग से कर दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इतनी बड़ी राशि 85 लाख रुपये की सरकारी राशि के गबन करने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राशि का भुगतान

47. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड के सिसवार ग्राम के सतघरिया टोला निवासी स्व. श्री फेकन मिश्र की पत्नी श्रीमती मंजुला देवी को सरकार द्वारा न तो वृद्धा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और न ही सरकार द्वारा किसी भी तरह का लाभ दिया जा रहा है, विगत 10 वर्षों से भुगतान लंबित है, जबकि उसी गांव में ये सुविधा अन्य को दी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि गांव के ही मुखिया एवं वार्ड पार्षद द्वारा विद्वेषवश उन्हें हर सरकारी लाभ से वंचित रखा जाता है जो अन्यायपूर्ण है जिसकी जांच वहां के जिलाधिकारी एवं बी.डी.ओ. के द्वारा करवायी जा सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को तुरंत सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ को उन्हें प्रदान करना चाहेगी, साथ ही उनके साथ इस प्रकार के अन्याय करनेवाले लोगों तथा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहेगी तथा कबतक उन्हें सारी सुविधा, विगत 10 वर्षों के बकाया का भुगतान सरकार उपलब्ध करायेगी, यदि नहीं तो क्यों?

समयसीमा निर्धारित

48. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी कोषागारों में वेतन विपत्रों के निष्पादन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होने से संबंधित लाभुकों को कभी-कभी ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पाता है;

(ख) क्या यह सही है कि इसके लिए सरकार द्वारा संबंधित पूरी पद्धति को अब ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे कि किसी भी कोटि के वेतनभोगियों/पेंशनभोगियों को ससमय भुगतान हो सके;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वेतन भुगतान के अंतिम चरण की प्रक्रिया के निष्पादन पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारियों के लिए भी कोई समय-सीमा निर्धारित करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर : (क) उत्तर नकारात्मक है।

वेतन विपत्र पारित होने में विलंब का कारण समय-सीमा निर्धारित नहीं होना, नहीं है। वित्त विभाग के पत्रांक-11889, दिनांक 29.12.2011 द्वारा राज्य के सभी कोषागारों में विपत्रों के उपस्थापन के पश्चात् निष्पादन हेतु 05 (पांच) दिनों की समय-सीमा निर्धारित है। कभी-कभी लिंक एवं नेट आदि में समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण वेतन भुगतान में विलंब हो जाता है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में समग्र वित्तीय प्रबंधन प्रणाली [Comprehensive Financial Management System (CFMS)] लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से विपत्र उपस्थापन तथा भुगतान ऑनलाइन किया जायेगा।

(ग) समय-सीमा पूर्व से ही निर्धारित है।

जाम से निजात

49. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबद जिला के शहर में जसाईय मोड़ से लेकर मंजुराही मोड़ तक एन.एच.-139 पर सीमेंट प्लांट रहने के कारण हमेशा जाम लगा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मोड़ पर जाम लगा रहने से हमेशा दुर्घटना होती रहती है एवं कल दिनांक 01.07.2018 को शवदाह के दौरान ओबरा दुमुहान के पास बज्रपात हुआ जिसमें घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में उक्त मोड़ पर जाम रहने से चार व्यक्ति रास्ते में एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिये;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त मोड़ पर जाम से निजात दिलाने हेतु ठोस कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

योग्य एवं कर्मठ थानाध्यक्ष

50. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के दानापुर थाना एवं रूपसपुर थाना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में आपराधिक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों थानों में पदस्थापित पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक 02.07.18 को दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में पृष्ठ-5 पर छपे शीर्षक 'दानापुर में रंगदारी न देने पर की फायरिंग' समाचार की ओर वरीय पुलिस पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि विगत दो वर्षों में हुई वारदातों के संबंध में दोनों थाना के पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा सरकार उक्त दोनों थानों में किसी योग्य एवं कर्मठ थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है?

पुलिस थाना कबतक

51. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत कोचेया, दरभंगा ग्राम में वर्ष 1983 में नक्सलियों के द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घटना के बाद वहां पुलिस पिकेट दिया गया था, जिसे हटा लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव में नक्सलियों के द्वारा वर्ष 2001 में एक व्यक्ति की हत्या एवं वर्ष 2010 में नौ घरों की कुर्की-जब्ती कर घरों में विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया;

(घ) क्या यह सही है कि गांव से थाने की दूरी 7 कि.मी. है, जिसकी वजह से उक्त गांव नक्सलियों के निशाने पर है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव में पुलिस थाना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

ट्यूबवेल एवं पम्पसेट

52. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कृषकहित में सोलर ऊर्जा से संचालित ट्यूबवेल एवं पम्पसेट लगाने की योजना की पहल सरकार ने की है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह एक सराहनीय, सार्थक पहल है जो कृषि विकास कार्य में अभूतपूर्व क्रांति लायेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कार्य को किन-किन जिलों में कबतक पूरा करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों?

सी सी टी वी कैमरे

53. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 29 जून 2018 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में छपे शीर्षक समाचार पटना के थानों में लाखों रुपये खर्च कर लगी 'तीसरी आंख फेल' की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि थानों में सी सी टी वी कैमरे लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद कैमरे को खराब किये जाने का क्या कारण है, क्या सरकार पटना के सभी थानों में सी सी टी वी कैमरे को स्थापित कर उसे चालू अवस्था में रखे जाने का विचार रखती है?

सरकारी राशि का गठन

54. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर प्रमंडल के मुख्य अभियंता पर सरकारी राशि के गबन का आरोप होने के कारण इनका स्थानांतरण बेगूसराय में कर दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों से सांठ-गांठ कर उक्त अभियंता अपने स्थानांतरित स्थान पर न जाकर मुजफ्फरपुर प्रमंडल में ही बने हुए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी राशि का गबन करने वाले उक्त भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

केन्द्र के अनुरूप वेतनमान

55. **श्री बीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को केन्द्र के अनुरूप सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान सह वेतन वृद्धि दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग की अनदेखी के कारण राज्य के मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को अभी तक षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान तो मिला है, लेकिन वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों में क्षोभ व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान के साथ उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अनियमितता की जांच

56. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार के सात निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल का जल' कार्यक्रम में पी.एन.-10 की पाइप लगाने का मानक तय किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिला के फतुहा प्रखंड के वार्ड नं.-3, 12 एवं 14 में पी.एन.-10 पाइप के स्थान पर पी.एन.-8 पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही पूरे राज्य में भी मानक के अनुरूप पाइप का इस्तेमाल नहीं कर घटिया एवं कमजोर पाइप लगाया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे राज्य में 'हर घर नल का जल' योजना में मानक के अनुरूप पाइप नहीं लगाने की अनियमितता की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है?

नलकूपों का जीर्णोद्धार

57. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत भोजपुर जिला और बक्सर जिला में आर.आई.डी.एफ. एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आहर पईन/वीयर तथा उद्वह सिंचाई योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है;

(ख) योजना के तहत भोजपुर जिला और बक्सर जिला में किन-किन प्रखंड में कार्य कराया जा रहा है और उसकी स्थिति क्या है;

(ग) भोजपुर जिला बक्सर जिला में कितने राजकीय नलकूप हैं, कितने नलकूप चालू स्थिति में और कितने नलकूप अभी तक बंद हैं, बंद नलकूपों के जीर्णोद्धार का कार्य कबतक कराया जायेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में बंद राजकीय नलकूपों को चालू कराना चाहती है?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

58. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर अंचल के सादिकपुर उर्फ सराय जहांगीराबाद के थाना नं.-28 में इमामबाड़ा, कर्बला, दरगाह सहित खाता सं.-120, खेसरा सं.-286, 294 में 70 डी., 05डी. रकबा का कब्रिस्तान है जिसमें असामाजिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान की मापी अंचल अधिकारी द्वारा करने एवं वहां के नागरिकों के द्वारा कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी उपरोक्त स्थलों की घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमा राशि देने में आनाकानी

59. **श्री हीरा प्रसाद बिन्द एवं श्री तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, वित्त विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सहारा इंडिया के शाखा डाकबंगला एवं चितकोहरा बाजार के शाखा प्रबंधकों द्वारा मैच्युरिटी के बाद निवेशकों की जमा धन राशि को देने में आनाकानी की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शाखा के प्रबंधकों के विरुद्ध में हजारों निवेशकों द्वारा अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम सह सक्षम प्राधिकार एन.बी.एफ.सी., पटना के यहां आवेदन दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम सह सक्षम प्राधिकार द्वारा आजतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है और निवेशकों को आजतक उनकी जमा धनराशि का भुगतान शाखा प्रबंधकों द्वारा नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच कराकर भुगतान के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए निवेशकों की धन राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 26 जुलाई, 2018